संख्या 15012/1/87-स्था0(घ)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5-10-1990

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और जो महिलाएं अपने पति से अलग रहती है, के लिए आयु में छूट ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 19 जनवरी, 1980 (प्रति संलग्न) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 15012/13/79-स्था0(घ) में यह प्रावधान है कि कर्मचारी चयन आयोग और रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरे जाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह "ग" और समूह "घ" के पदों पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं तथा न्यायिक तौर पर अपने पति से अलग हुई ऐसी महिलाओं के मामले में जिन्होंने पुन: विवाह नहीं किया है, संगत भर्ती नियमों के प्रावधानों का आश्रय लेते हुए 35 वर्ष तक की (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए 40 वर्ष तक) आयु में छूट दी जाएगी।

2. क्या समूह "ग" तथा "घ" के पदों में नियुक्ति के लिए ऊपर लिखित आयु छूट समूह "क" तथा "ख" के पदों के लिए भी दी जानी चाहिए इस प्रश्न की संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से जांच की गई है। अब यह निर्णय किया गया है कि विधवाओं आदि के लिए, उन पदों को छोड़कर जहां भर्ती खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाती है समूह "क" और "ख" में भर्ती के लिए भी उपर्युक्त आयु सीमा में छूट की अनुमति दे दी जाए।

(एम0 वी0 केशवन)
निदेशक

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि।
2. नियंत्रक और महा लेखाकार ।
3. कर्मचारी चयन आयोग ।
4. गृह मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय ।
5. गृह मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अनुभाग ।
6. सभी संघ शासित राज्यों के प्रशासन।
7. राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।